# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 383/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| मृगेन्द्र सिह भाटी पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिह भाटी जाति राजपूत निवासी देवीसागर कृषि फार्म, भिचडली जोधपुर | | 1– कृष्ण काक पुत्र कर्नल श्री वी.एन.काक निवासी एम.एल.ए. क्वाटर्स जयपुर<br>2– सोहनराज सुराणा पुत्र सोनराज सुराणा निवासी ए–45 शास्त्री नगर जोधपुर<br>3– जोधपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव,<br>4– तहसीलदार जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 सपठित आदेश 43 नियम 1 (यू) सी.पी.सी. विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर अन्तर्गत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 2/2016 जो मूल अपील संख्या 75/2012 को प्रत्यावर्तित करने हेतु पेश किया गया था, को खारीज किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है ।

राजस्व अपील संख्या 384/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| मृगेन्द्र सिह भाटी पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिह भाटी जाति राजपूत निवासी देवीसागर कृषि फार्म, भिचडली जोधपुर | | 1– कमला भल्ला पुत्री श्री एम.एल.भल्ला निवासी ड्ब्लु जेड–8 तिलक नगर, दिल्ली<br>2– श्रेयांश डागा पुत्र हुकमचंद डागा निवासी 31, शास्त्री नगर जोधपुर<br>3– जोधपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव,<br>4– तहसीलदार जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 सपठित आदेश 43 नियम 1 (यू) सी.पी.सी. विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर अन्तर्गत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 जो मूल अपील संख्या 74/2012 को प्रत्यावर्तित करने हेतु पेश किया गया था, को खारीज किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है ।

उपस्थितिः–

1– श्री मोती सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से (उक्त दोनो अपीलो मे)।
2– श्री गुलाबसिह चंपावत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से (अपील संख्या 383/2017 मे) ।
3– श्री अदब खान रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से (उक्त दोनो अपीलो मे) ।
4– श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से (उक्त दोनो अपीलो मे) ।
5– श्री सुगनमल परिहार रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से । (अपील संख्या 384/2017 मे)
6– दोनो ही अपीलो मे रेस्पो0 संख्या 4 बावजुद अखबार साया के अनुपस्थित ।

## निर्णय

दिनांक 11–10–2019

अपीलांट मृगेन्द्र सिह ने म्युटेशन संख्या 5 एवं 6 दिनांक 6–6–1972 को निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष दो अपीले

कमशः अपील संख्या 74/2012 अनवान मृगेन्द्र सिह भाटी बनाम कमला भल्ला एवं अपील संख्या 75/2012 अनवान मृगेन्द्र सिह भाटी बनाम कृष्ण काक प्रस्तुत की थी । उक्त दोनो ही राजस्व अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर ने अपने दिनांक 18–7–2014 के द्वारा अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारीज कर दी । उक्त दोनो अपीलो को रेस्टोर करवाने के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे पृथक पृथक दो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. सपठित धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किये जिनके रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 एवं 2/2016 पडे तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर ने उक्त दोनो ही रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्रो को एक ही निर्णय दिनांक 22–6–2016 (अपीलाधीन निर्णय) के द्वारा खारीज कर दिये जाने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2016 के विरूद्ध वर्तमान दोनो अपीलें इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

चूँकि उक्त दोनो अपीलो की विषयवस्तु, कानूनी बिन्दु एक समान होने से उक्त दोनो अपीलो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है । पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता एवं रेस्पो0 संख्या 2 एवं 3 की ओर से अधिवक्ताओं ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जो रेकर्ड पर है तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ओर से मौखिक कथन किया । उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 एवं 2/2016 पर पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2016 का अवलोकन किया तथा वर्तमान प्रस्तुत अपीलो के संबंध मे कानूनी प्रावधानो का भी अध्ययन किया ।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 एवं 2/2016 को खारीज करने के संबंध मे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम सपठित आदेश 43 नियम 1 (यू) सी.पी.सी.के तहत प्रस्तुत की है, । भू राजस्व अधिनियम के तहत द्वितीय अपील एवं निगरानी पेश करने के प्रावधान उपलब्ध है तो अन्य किसी नियम के तहत अपील या निगरानी पेश नही हो सकती है । इस संबंध मे रेवेन्यु बोर्ड की लार्जर बेन्च द्वारा यह प्रतिपादित किया हुआ है कि भू राजस्व अधिनियम मे सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान लागू नही होते है, इस कारण अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील सपठित आदेश 43 नियम 1 (यू) सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत नही होनी चाहिये थी बल्कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्रो पर पारित आदेशो के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिये थी ।

अपीलांट ने म्युटेशन संख्या 5 एवं 6 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो अपीले कमशः अपील संख्या 74/2012 अनवान मृगेन्द्र सिह भाटी बनाम कमला भल्ला एवं अपील संख्या 75/2012 अनवान मृगेन्द्र सिह भाटी बनाम कृष्ण काक पेश की थी जो दिनांक 18–7–2014 को अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारीज हो चुकी थी, उस मूल

आदेश दिनांक 18–7–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा मे अपीले प्रस्तुत की जा सकती थी तथा मेन्टेनेबल थी परंतु अपीलांट ने उक्त मूल आदेश की कोई अपीलें नही कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्रो पर पारित आदेश दिनांक 22–6–2016 के विरूद्ध अपीले पेश की है, जो इस न्यायालय मे पोषणीय नही है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को मेरिट पर निर्णित नही करके मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2016 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 77 के प्रावधानो के तहत निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे ही प्रस्तुत होनी चाहिये थी ।

वर्तमान मामले मे यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील अदम हाजरी मे ही नही बल्कि अदम तकमील मे खारीज की गई थी परंतु अपीलांट ने जो अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये उसमे न्यायालय के आदेश की पालना नही कर सकने के संदर्भ मे कोई कारण नही दर्शाया है जबकि अदम तकमील मे कोई प्रकरण खारीज किये जाने की स्थिति मे उस प्रकरण को तब तक रेस्टोर नही किया जा सकता जब तक न्यायालय के आदेश की पालना पक्षकार द्वारा नही कर दी जाती । ऐसे मे अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्रो पर पारित किये गये आदेश दिनांक 22–6–2016 मे कोई कानूनी त्रुटि नही होने के आधार पर भी अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत उक्त दोनो अपीले खारीज योग्य है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष मूल आदेश दिनांक 18–7–2014 की अपील पेश नही करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्रो पर पारित आदेश दिनांक 22–6–2016 के विरूद्ध पेश करते हुए अपील मे जो इस्तदुआ चाही है, उसमे मूल आदेश को भी निरस्त करने का निवेदन किया है जबकि दोनो आदेश अलग–अलग है इसलिए दोनो आदेशो की एक अपील नही हो सकती है इस कानूनी बिन्दु के आधार पर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 एवं 2/2016 पर पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष आदेश 43 नियम 1 (यू) सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत दोनो ही अपीले पोषणीय नही होने से खारीज की जाती है । निर्णय की एक–एक मूल प्रति दोनो अपील पत्रावलियों मे सलंग्न की जाये ।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर